परिशिष्ट-डी 3

(State Protocol List)

पत्र संख्या ए-परि० 7-101-82-म०स०-280

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सामान्य शाखा)

प्रेषक
श्री राम उपदेश सिंह,
आयुक्त एवं सचिव

सेवा में
सरकार के सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,
निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना,
लोकायुक्त, बिहार, पटना,
सभी प्रमंडलायुक्त,
सभी जिलाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 6 अप्रील 198

विषय—अद्यतन बिहार राज्य अनुपूर्वी सूची 1988

महाशय,

निदेशानुसार मुझे अद्यतन बिहार राज्य अनुपूर्वी सूची, 1988 की प्रतिलिपि आपके सूचना एवं मार्गदर्शन हेतु संलग्न करनी है। यह अद्यतन राज्य अनुपूर्वी सूची पूर्व की अनुसूची, जि इस विभाग के पत्रांक 533, दिनांक 3 जुलाई 1987 द्वारा जारी किया गया था, को अवक्रमि करती है।

2. अनुरोध है कि अद्यतन राज्य अनुपूर्वी सूची 1988 से अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारि को अवगत कराने की कृपा करें।

विश्वासभाजन,
आर० यू० सिंह,
आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञाप संख्या ए-परि०-7-101-82-म०सा०-280

पटना-15, दिनांक 6 अप्रील 198

प्रतिलिपि—अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित राज्यपाल के प्रधान सचिव। मुख्य मंत्री के प्रधा सचिव। अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आप्त सचिव। सभापति, बिहार विधान परिषद् के आप्त सचिव। सभी मंत्रियों के आप्त सचिव। मुख्य सचिव के सचिव। उपाध्यक्ष,। बिहार विधान-म आप्त सचिव का सूचनार्थ प्रेषित।

आर० यू० सिंह,
आयुक्त एवं सचिव।

अनुलग्नक

बिहार राज्य अनुपूर्वी, 1988

1	4	राज्यपाल
2	7	मुख्य मंत्री
3	10	उप-मुख्य मंत्री
4	14	विधान परिषद् के सभापति विधान-सभा के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति लोकायुक्त
5	15	(क) राज्य के मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री (ख) विधान-सभा के विरोधी दल के नेता
6	17	उच्च न्यायालय के प्यूने जज
7	18	(क) विधान-परिषद् के उप-सभापति विधान-सभा के उपाध्यक्ष राज्य के राज्यमंत्री सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक (ख) ऐसे महानुभाव जिन्हें मंत्री या राज्य मंत्री का दर्जा या सुविधा प्राप्त है।
8	19	(क) राज्य के उप-मंत्री (ख) ऐसे महानुभाव जिन्हें उप-मंत्री स्तर का दर्जा या सुविधा प्राप्त है।
9	20	महापौर (अपने नगर क्षेत्र में)
10	21	संसद सदस्य
11	22	विधान परिषद एवं विधान-सभा के सदस्य
12	23	मुख्य सचिव
13	25	(क) राज्य सरकार के ऐसे पदाधिकारी जो भारत सरकार में सचिव स्तर के समकक्ष हों, अपनी वरीयतानुसार (ख) अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग (ग) राज्य सरकार के ऐसे पदाधिकारी जो भारत सरकार में अपर सचिव स्तर के समकक्ष हों, अपनी वरीयतानुसार (घ) आरक्षी महानिदेशक (च) महाधिवक्ता
14	26	(क) आयुक्त एवं सरकार के सचिव। प्रमंडलीय आयुक्त। आयुक्त स्तर के पदाधिकारी (ख) क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक (ग) विश्वविद्यालय के कुलपति (अपने कार्य क्षेत्र में) (घ) राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य (च) अभियंता प्रमुख

15 (क) राज्य सरकार के सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव जो आयुक्त स्तर के नहीं हों।
(ख) उच्च न्यायालय के निबंधक
(ग) महालेखाकार, बिहार
(घ) आयकर आयुक्त
(ङ) समाहर्त्ता, केन्द्रीय उत्पाद
(च) प्रमंडलीय रेल प्रबंधक
(छ) ब्रिगेडियर (जो ब्रिगेड के कमान्ड में हों)
(ज) महाडाकपाल
(झ) कंट्रोलर ऑफ डिफेन्स एकाउन्ट्स
(ट) मुख्य अभियंता
(ठ) निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं
(ड) आरक्षी उप-महानिरीक्षक
(ढ) ऐसे अन्य विभागाध्यक्ष जो सुपर टाईम स्केल में है

16 (क) ब्रिगेडियर (जो कमाण्ड में नहीं हों)
(ख) जिला दंडाधिकारी
(ग) जिला न्यायाधीश

17 (क) आरक्षी अधीक्षक

नोट—

(1) इस पूर्वता सारणी का क्रम राजकीय समारोहों के लिए है और सरकार के दिन प्रतिदिन के कार्य संचालन पर लागू नहीं होगा।

(2) सारणी में व्यक्तियों की पूर्व अनुच्छेदों (आर्टिकिल्स) की संख्या के क्रम में होगी जिसका नाम एक ही अनुच्छेद संख्या में दिया गया है, उनकी पारस्परिक पूर्व उस अनुच्छेद में प्रविष्टि विभिन्न राज्यों अथवा संघीय क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति अपने राज्य या संघ शासित क्षेत्रों के बाहर किसी समारोह में उपस्थित होंगे एवं उनकी प्रविष्टि की तिथि निर्धारित करना कठिन होगा तब उनकी पारस्परिक पूर्वता उनलोगों के बाद जिनकी पूर्वता अनुच्छेद में प्रविष्टि की तिथि के आधार पर निर्धारित हो जायेगी राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के नामों के वर्ण क्रमानुसार नियत की जा सकती है।

(3) एक ही तिथि को निर्वाचित होने की अवस्था में विधान परिषद् के समापति का स्थान विधान-सभा के अध्यक्ष के पूर्व होगा।

(4) आवश्यकता पड़ने पर अन्य सरकारी पदाधिकारी वेतनमान के आधार पर क्रमांक 26 के बाद समकक्ष पदाधिकारियों के स्थान पावेंगे।